

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्तावादी तथा उभयपक्षकारान स्वयं भी उपस्थित। प्रार्थी वादी ने प्रार्थना पत्र बाबत वाद विद्धो किए जाने के पेश किया। शामिल मिशल। प्रार्थी वादी को प्रार्थना पत्र के संदर्भ में सुना गया। वादी द्वारा कथन किया गया है कि प्रार्थी वादी तथा परिवादी सगे भाई है, जिनमें वाद के संबन्ध में राजीनामा हो गया है तथा अब पक्षकारान में कोई विवाद शेष नहीं है। जिससे अब वादी वाद को आगे नहीं चलाना चाहता है तथा प्रकरण में अब कोई कार्यवाही भी नहीं चाहता है। अतः वाद को विद्धो किए जाने की अनुमति दी जावे।

हमने पक्षकारान को सुना व पत्रावली का अवलोकन किया। चूँकि स्वयं वादी अब वाद को आगे नहीं चलाना चाहता है तथा प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं चाहता है। अतः वाद वादी विद्धो के आधार पर खारिज किया जाता है। वादी ने तथा परिवादी प्रतिवादी ने भी स्वयं की पहचान के सन्दर्भ में आधार कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति प्रस्तुत की है तथा वादी अधिवक्ता द्वारा वादी की पहचान की गई है। तदनुसार वाद वादी विद्धो के आधार पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

